तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर अहकाम की तामील
22.6.20	पत्रावली आज प्रार्थी के वकील के निवेदन पर पेश हुई। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण की और से जबाब पेश किया। पक्षकारन ने बहस हेतु निवेदन किया ।	

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम सरवडी के खसरा संख्या 359 रकबा 31 बीघा 16 विस्वा व खसरा न0 360 रकबा 26 बीघा 05 विस्वा, खसरा न0 442 रकबा 60 बीघा 17 विस्वा में प्रार्थी का 2/3 हक हिस्सा की भूमी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बलिया पुत्र देवा जाति मेगवाल नाम दर्ज है जिसके स्थान पर बालू राम पुत्र देवा राम जाति मेघवाल दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

दोनो पक्षों के वकील को सुना गया, सरकारी दस्तावेजात, आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड के छाया प्रतियों के अवलोकन अध्ययन किया गया। जिसमें प्रार्थी का नाम सही व शुद्ध नाम बालू राम पुत्र देवा राम दर्ज किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रर्थाना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त खसरान भूमि में प्रार्थी का नाम बलिया पुत्र देवा जाति मेगवाल के स्थान पर बालूराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का शुद्ध व सही नाम बालू राम पुत्र देवा राम जाति मेघवाल राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार दर्ज करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner